

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018)" में प्राविधानित व्यवस्था के तहत एवं उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 564/XIII-I/2010-3(11)/2010 देहरादून दिनांक 16.06.2010 के द्वारा कार्मिकों के लिये निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अनुक्रम में विभाग स्तर पर निदेशालय स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु कृषि निदेशालय के पत्रांक-कृ0नि0/9838/स्था0-1/कार्यालय ज्ञाप(91)/2017-18/दिनांक 31.03.2018 एवं पत्रांक-87/स्था0अनु0-1/वार्षिक स्था0अधि0/2024-25 दिनांक 05.04.2024 के द्वारा समिति का गठन किया गया था। उक्त क्रम में स्थानान्तरण वर्ष 2026-27 में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रक्रिया की जानी है।

अतः कृषि निदेशालय के पत्रांक-कृ0नि0/9838/स्था0-1/कार्यालय ज्ञाप(91)/2017-18/दिनांक 31.03.2018 एवं पत्रांक-87/स्था0अनु0-1/वार्षिक स्था0अधि0/2024-25 दिनांक 05.04.2024 के द्वारा गठित समिति वर्ष 2026-27 हेतु यथावत रहेगी।

ह0/-
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- कृ0नि0/ 07 /स्था0अनु0-1/वार्षिक स्था0अधि0/2026-27/दिनांक 01-04-2026

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विभागीय समिति के समस्त सदस्य।
2. समस्त पटल सहायक (स्थापना अनुभाग) कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार अपने पटल से सम्बन्धित स्थानान्तरण प्रकरणों को समिति के सम्मुख निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना), कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, रेशम विभाग, प्रेमनगर, देहरादून।
5. कार्यालय आदेश/गार्ड पत्रावली में संचय हेतु।

Digitally signed by
Dinesh Kumar
Date: 01-04-2026
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड